भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2936

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न भंडारण प्रणाली की समीक्षा

2936. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की खाद्यान्न भंडारण प्रणाली सहित वर्तमान भंडारण नीति तथा निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्षेत्रीय भंडारण में असंतुलन, अधिशेष भंडार के प्रबंधन तथा भंडारण क्षमता के इष्टतम उपयोग से संबंधित प्रमुख रूप से चिन्हित मुद्दे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान भंडारण मानकों में संशोधन करने तथा आधुनिक साइलो एवं गोदामों सहित वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना का विस्तार करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा अन्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता और अगले तीन वर्षों के दौरान सृजित की जाने वाली अतिरिक्त भंडारण क्षमता का पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) फसल कटाई के उपरांत होने वाली क्षति को कम करने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने तथा भविष्य के अनुरूप खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हाँ। सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से खरीद, संचलन तथा इस संबंध में सरकार की नीतियों के आधार पर भंडारण क्षमता की कमी का निरंतर आकलन किया जाता है। भंडारण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, एफसीआई तथा राज्य सरकारों द्वारा कमी वाले राज्यों में भंडारण क्षमता का सृजन किया जाता है।

खाद्यान्न प्रबंधन में उभरती चुनौतियों तथा बढ़ती खरीद मात्रा का सामना करने के लिए एक व्यापक नई भंडारण नीति तैयार की गई है और एफसीआई और राज्य सरकारों के साथ साझा की गई है।

सरकार द्वारा दिनांक 03.08.2026 को एफसीआई एवं राज्य सरकारों को नई भंडारण नीति प्रेषित की गई है। नई भंडारण नीति में पीईजी सहित भंडारण क्षमता सृजन के विभिन्न पद्धतियों से संबंधित पहलुओं का समुचित ध्यान रखा गया है। इस नीति में राज्य-वार कमी भी शामिल की गई है।

(ग) से (ङ): एक व्यापक नई भंडारण नीति हाल ही में तैयार की गई है तथा इसे भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्नों के भंडारण हेतु कुल 522.51 लाख टन की भंडारण क्षमता [501.00 लाख टन कवर्ड (स्वयं की + किराए की) + 21.51 लाख टन कवर्ड एवं प्लिंथ] उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसियों के पास भी 466.19 लाख टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

...2/-

आज की तिथि तक, पंजाब क्षेत्र की भंडारण क्षमता निम्नानुसार है:

एफसीआई की स्वयं की कवर्ड क्षमता:- 27.38 लाख टन

एफसीआई की किराए की कवर्ड क्षमता:- 124.09 लाख टन

एफसीआई की स्वयं की सीएपी:- 3.37 लाख टन

एफसीआई की किराए की सीएपी:- 13.66 लाख टन

एसजीए कवर्ड क्षमता:- 30.85 लाख टन

एसजीए सीएपी क्षमता:- 69.48 लाख टन

कटाई-उपरांत हानियों को न्यूनतम करने, प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

(i) साइलोज-खाद्यान्नों का वैज्ञानिक रूप से भंडारण:

खाद्यान्न भंडारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से प्रचालनात्मत दक्षता में सुधार करने तथा भंडारण सुविधाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत देशभर में खाद्यान्न के थोक भंडारण हेतु स्टील साइलो के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

साइलो भंडारण, खाद्यान्न के थोक भंडारण की एक अत्यधिक यंत्रीकृत एवं आधुनिक पद्धति है, जो खाद्यान्न के बेहतर परिरक्षण तथा उनकी शेल्फ लाइफ में वृद्धि सुनिश्चित करती है। इसके लिए पारंपरिक भंडारण पद्धतियों की तुलना में केवल एक-तिहाई भूमि की आवश्यकता होती है, जूट की बोरियों से संबंधित लागत सहित पारगमन एवं उपरिव्यय लागतों को कम करता है, कार्यबल की आवश्यकता में कमी लाता है तथा वैज्ञानिक हैंडलिंग एवं भंडारण पद्धतियों के माध्यम से गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

(ii) स्मार्ट भांडागार परियोजना: इस परियोजना के तहत, पारंपरिक भांडागारों को स्मार्ट भांडागारों में परिवर्तित किया गया है, जिन्हें धुआँ संवेदक (स्मोक सेंसर), अग्नि संवेदक (फायर सेंसर), द्वार-खुलने का संवेदक (गेट ओपनिंग सेंसर) आदि विभिन्न संवेदकों से सुसज्जित किया गया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), फॉस्फीन स्तर, अग्नि जोखिम, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश तथा तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय आधार पर निगरानी की जा सके।

स्मार्ट भांडागार सभी डिपुओं में वास्तविक समय पर दृश्यता, समयबद्ध मध्यस्थता, डाटा-आधारित निर्णय-लेना तथा मानकीकृत प्रचालनों को सुनिश्चित करता है, जिससे खाद्यान्न के सुरक्षित, संरक्षित एवं दक्ष भंडारण तथा वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

(iii) डिपो दर्पण पोर्टल: सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न भंडारण डिपो एवं भांडागारों की निगरानी, पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से डिपो दर्पण पोर्टल की शुरुआत की।

डिपो दर्पण की प्रमुख विशेषताएं और प्रयोजन:

...3/-

क. डिपो/भांडागार प्रबंधक, अवसंरचना तथा प्रचालनों से संबंधित जियो-टैग्ड डाटा अपलोड करके अपने डिपो की अवसंरचना का आकलन करते हैं।

ख. पोर्टल में एक समेकित स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत डिपुओं का मूल्यांकन दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना तथा प्रचालनात्मक मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

ग. स्कोर के आधार पर, डिपुओं की ग्रेडिंग की जाती है।

घ. डाटा का सत्यापन, प्रक्रिया में ही अंतर्निहित है, जिसमें 100% पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा सत्यापन शामिल है।

ङ. डिपो दर्पण पोर्टल के तहत एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए सभी भांडागारों को शामिल किया गया है।

(iv) 'अन्न चक्र' उपकरण

(क) 'अन्न चक्र' पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण: सरकार द्वारा पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु **'अन्न चक्र'** उपकरण लागू किया गया है। यह उपकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने तथा समग्र लागत को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जिससे 81 करोड़ कमजोर नागरिकों को लाभ प्राप्त हो सके। राज्य-विशिष्ट एल्गोरिद्म का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली भांडागारों के स्थान, भंडारण क्षमता तथा सड़क दूरी के आधार पर परिवहन मार्गों का अनुकूलन करती है।

(ख) 'अन्न चक्र' अंतर्राज्यीय मार्ग अनुकूलन उपकरण:

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा मुख्यतः रेल माध्यम से किए जाने वाले खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय संचलन प्रचालनों को सुव्यवस्थित एवं अधिक दक्ष बनाने के लिए अंतर्राज्यीय संचलन अनुकूलन को शुरू किया गया है। इन संचलनों की योजना उपभोग वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ खरीद अथवा अधिशेष क्षेत्रों में भंडारण स्थान के प्रबंधन के अनुरूप की जाती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा इन प्रचालनों की दैनिक आयोजना एवं कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए विकसित उपकरण का उपयोग करके किया जाता है।

अनुबंध-क

लोकसभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2936 के उत्तर के भाग (ग) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.07.2026 तक एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता **(आंकड़े लाख टन में हैं)**

अंचल	क्र. सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई की कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व वाली/किराए पर ली गई) (कवर्ड और सीएपी)						कुल (स्वामित्व + किराए पर लिया गया)	खाद्यान्न भंडारण के लिए राज्य एजेंसियों (एसडब्ल्यूसी सहित) के पास कुल भंडारण क्षमता (एफसीआई को दी गई क्षमताओं को छोड़कर)			कुल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल		कवर्ड व सीएपी	राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड व सीएपी
			स्वामित्व	किराये पर लिया	स्वामित्व	किराये पर लिया	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्व	1	बिहार	3.45	10.58	0.00	0.00	14.02	0.00	**14.02**	10.13	0	**10.13**	24.15	0.00	**24.15**
	2	झारखंड	1.08	3.30	0.00	0.00	4.39	0.00	**4.39**	2.25	0	**2.25**	6.64	0.00	**6.64**
	3	ओडिशा	3.65	3.35	0.00	0.00	7.00	0.00	**7.00**	6.25	0	**6.25**	13.25	0.00	**13.25**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	2.22	0.00	0.00	11.75	0.00	**11.75**	9.66	0	**9.66**	21.41	0.00	**21.41**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.11	0	**0.11**	0.22	0.00	**0.22**
कुल पूर्वी अंचल			**17.82**	**19.45**	**0.00**	**0.00**	**37.27**	**0.00**	**37.27**	**28.40**	**0**	**28.40**	**65.67**	**0.00**	**65.67**
उत्तर पूर्व	6	असम	3.84	1.59	0.00	0.00	5.42	0.00	**5.42**	0.00	0	**0.00**	5.42	0.00	**5.42**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.04	0.00	0.00	0.45	0.00	**0.45**	0.00	0	**0.00**	0.45	0.00	**0.45**
	8	मेघालय	0.23	0.25	0.00	0.00	0.47	0.00	**0.47**	0.00	0	**0.00**	0.47	0.00	**0.47**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	**0.41**	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.64	0	**0.64**	1.27	0.00	**1.27**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	**0.00**	0.65	0.00	**0.65**
	12	नगालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	**0.08**	0.65	0.00	**0.65**
कुल उत्तर पूर्व अंचल			**6.29**	**2.21**	**0.00**	**0.00**	**8.51**	**0.00**	**8.51**	**1.13**	**0**	**1.13**	**9.64**	**0.00**	**9.64**
	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	**0.00**	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरयाणा	8.75	60.31	2.21	1.49	69.06	3.69	**72.76**	44.45	21.48	**65.93**	113.51	25.17	**138.69**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.74	0.00	0.00	1.01	0.00	**1.01**	0.00	0	**0.00**	1.01	0.00	**1.01**
	16	जे एंड के	0.95	1.64	0.00	0.00	2.58	0.00	**2.58**	0.00	0	**0.00**	2.58	0.00	**2.58**

उत्तर	17	लद्दाख	0.25	0.13	0.00	0.00	0.38	0.00	**0.38**	0.00	0	**0.00**	0.38	0.00	**0.38**
	18	पंजाब	27.19	124.00	3.37	13.66	151.19	17.03	**168.22**	25.59	62.71	**88.30**	176.78	79.74	**256.52**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	**0.00**	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.42	20.35	0.40	0.36	28.77	0.76	**29.53**	0.00	0	**0.00**	28.77	0.76	**29.53**
	21	उतार प्रदेश	15.48	50.26	0.00	0.00	65.74	0.00	**65.74**	0.00	0	**0.00**	65.74	0.00	**65.74**
	22	उत्तराखंड	0.83	1.14	0.03	0.00	1.97	0.03	**2.00**	1.19	0	**1.19**	3.16	0.03	**3.19**
कुल उत्तरी अंचल			**65.41**	**258.67**	**6.01**	**15.50**	**324.08**	**21.51**	**345.59**	**71.23**	**84.19**	**155.42**	**395.31**	**105.70**	**501.01**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	9.08	0.00	0.00	17.72	0.00	**17.72**	14.70	0	**14.70**	32.42	0.00	**32.42**
	24	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	**0.16**	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	16.40	0.00	0.00	23.08	0.00	**23.08**	8.00	0	**8.00**	31.08	0.00	**31.08**
	26	केरल	5.88	0.13	0.00	0.00	6.01	0.00	**6.01**	1.84	0	**1.84**	7.85	0.00	**7.85**
	27	कर्नाटक	4.61	5.45	0.00	0.00	10.06	0.00	**10.06**	30.93	0	**30.93**	40.99	0.00	**40.99**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	**0.00**	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाडु	6.46	6.33	0.00	0.00	12.79	0.00	**12.79**	17.66	0	**17.66**	30.45	0.00	**30.45**
	30	पुडुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	**0.00**	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिण अंचल			**32.87**	**37.40**	**0.00**	**0.00**	**70.27**	**0.00**	**70.27**	**73.29**	**0**	**73.29**	**143.56**	**0.00**	**143.56**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.42	0.00	0.00	9.35	0.00	**9.35**	0.56	0	**0.56**	9.91	0.00	**9.91**
	32	दादर नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	9.82	0.00	0.00	19.05	0.00	**19.05**	6.98	0	**6.98**	26.03	0.00	**26.03**
	34	गोवा	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	**0.19**	0.00	0	**0.00**	0.19	0.00	**0.19**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	6.87	0.00	0.00	11.05	0.00	**11.05**	189.16	0	**189.16**	200.21	0.00	**200.21**
	36	छतीसगढ	6.32	14.91	0.00	0.00	21.23	0.00	**21.23**	11.26	0	**11.26**	32.49	0.00	**32.49**
कुल पश्चिमी अंचल			**24.84**	**36.02**	**0.00**	**0.00**	**60.87**	**0.00**	**60.87**	**207.96**	**0.00**	**207.96**	**268.83**	**0.00**	**268.83**
कुल योग			**147.24**	**353.76**	**6.01**	**15.50**	**501.00**	**21.51**	**522.51**	**382.00**	**84.19**	**466.19**	**883.00**	**105.70**	**988.70**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2936 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

खरीदे गए अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने और उसे क्षति से बचाने के लिए एफसीआई द्वारा नियमित रूप से उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

क. स्टॉक का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण और संरक्षण

(i) खाद्यान्न का भंडारण वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों का समुचित रूप से पालन करते हुए किया जाता है।

(ii) फर्श से अनाज तक नमी को पहुँचने से रोकने के लिए लकड़ी के बक्से, बांस की चटाइयां और पॉलीथीन की शीट जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में अनाज के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए फ्यूमिगेशन कवर, नायलॉन की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iv) गोदामों में रखे अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए बचाव वाले (कीटनाशकों का छिड़काव) और इलाज वाले (फ्यूमिगेशन) उपाय नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(v) चूहों पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं, चाहे वे ढके हुए गोदाम हों या कवर्ड तथा प्लिंथ (सीएपी) भंडारण।

(vi) योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जांच और सुपर-चेक की व्यवस्था के माध्यम से नियमित अंतराल पर खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

(vii) गोदामों में अनाज को लंबे समय तक रखने से बचने के लिए, जहाँ तक संभव हो "पहले आओ-पहले जाओ" (एफआईएफओ) के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसके अलावा, जो स्टॉक असुरक्षित जगहों पर रखे हैं या जिन्हें कम कड़े मानकों के तहत खरीदा गया है, उन्हें सबसे पहले जारी किया जाता है ताकि भंडारण के दौरान स्टॉक को कोई नुकसान न हो।

(viii) खाद्यान्न के परिवहन के दौरान नुकसान से बचने के लिए केवल ढके हुए रेल वैगनों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ix) परिवहन के दौरान रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथीन शीट बिछाई जाती है, ताकि बिखरे हुए खाद्यान्न को एकत्र किया जा सके तथा भंडारित खाद्यान्न को संदूषण से बचाया जा सके।

(x) स्टॉक को चाहे सीएपी में रखा गया हो या ढके हुए गोदामों में, उनमें नियमित रूप से वायु का संचार किया जाता है।

(xi) जब भी स्टॉक प्रभावित होता है, तो उसे अलग करने और उसकी स्थिति सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

ख. अतिरिक्त आधुनिक भंडारण संरचना के लिए क्षमता निर्माण

आधुनिक क्षमता निर्माण के तहत स्टील साइलो बिन बनाए जा रहे हैं, जो खाद्यान्न को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और उसकी शेल्फ-लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं।

ग. वैज्ञानिक भंडारण संरचना का समय-समय पर रखरखाव

(i) छत में पानी के रिसाव वाली सभी जगहों की पहचान करना और उनकी मरम्मत करना।

(ii) गोदाम परिसर में नालियों की सफाई सुनिश्चित की गई।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कहीं से भी पानी का रिसाव न हो, ताकि पानी जमा न हो।

(iv) मानसून का मौसम शुरू होने से पहले सभी मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।

खरीद के बाद होने वाली हानियों को कम करने के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं:

(i) भंडारण हानियों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु निगमित कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण तथा विशेष निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

(ii) क्षेत्रीय प्रबंधक उन केंद्रों की सूक्ष्मता से निगरानी करते हैं जहाँ चावल में अपेक्षाकृत अधिक भंडारण हानि तथा गेहूँ में अपेक्षाकृत कम लाभ दर्ज किया जाता है और ऐसे केंद्रों का समीपवर्ती केंद्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

(iii) असामान्य भंडारण हानि के मामलों में शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को संवेदनशील बनाया गया है।

(iv) तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों की बारीकी से जांच की जाती है, जिसमें जमाकर्ताओं के माध्यम से नमी की मात्रा की पुष्टि और भंडारण की अवधि के दौरान स्टॉक में नमी की मात्रा में आई कमी के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(v) भंडारण हानियों के संचयन का आकलन करने के लिए तकनीकी निरीक्षण में टालों के यादृच्छिक परीक्षण भार को शामिल किया गया है।

(vi) खरीद के बाद होने वाली हानियों को कम करने के लिए, एसओपी के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने के साथ-साथ नियमित जांच और कीटों की रोकथाम व बचाव के उपाय किए जा रहे हैं।
